संख्या- 19/2019/1380/तीस-4-2019-02(सा0)/18

प्रेषक,

अनिल कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 17 अक्टूबर, 2019

विषयः निष्प्रयोज्य घोषित कुल 15 वाहनो के सापेक्ष 14 अदद नये वाहन क्रय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-153 स्टोर्स/इन्फ/2019-टीकवर/वाहन क्रय/2014, दिनांक 07 अगस्त, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग में निष्प्रयोज्य घोषित कुल 15 वाहनों (यू0पी0 32/एडब्ल्यू-3687 जीप, यू0पी0 32/बीजी-1800 कार, यू0पी0 32/बीजी-0635 जीप, यू0पी0 32/आर-5354 जीप, यू0पी0 72/जी-0115 जीप, यू0पी0 32/बीजी-0632 जीप, यू0पी0 32/वाई-5395 जीप, यू0पी0 32/बीजी-5149 जीप, यू0पी0 32/बीजी-0634 जीप, यू0पी0 32/बीजी-0620 कार, यू0पी0 32/एडब्ल्यू-3688 जीप, यू0पी0 32/बीजी-2223 जीप, यू0पी0 32/एडब्ल्यू-3683 जीप, यू0पी0 32/एडब्ल्यू-0333 कार, यू0पी0 32/आर-5358 जीप) के प्रतिस्थापन में कुल 12 अदद जीप बोलेरो-Bol SLE power plus BS4 ABS AB जेम प्राइस पर समस्त करों सहित प्रति वाहन मूल्य रू0 6,93,286.00 की दर से कुल रू0 83,19,432.00 (तिरासी लाख उन्नीस चार सौ बत्तीस मात्र) तथा 02 अदद कार मेक मारूति सुजकी की कार माडल सियाज डेल्टा पेट्रोल जेम प्राइस पर समस्त करों सहित प्रति वाहन मूल्य रू0 7,82,279.30 की दर से रू0 15,64,558.60 (पन्द्रह लाख चौसठ हजार पांच सौ अट्ठावन मात्र) अर्थात कुल 14 वाहनों के सापेक्ष रू0 98,83,991.00 (अट्ठानवे लाख तिरासी हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त वाहनों का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों, वाहन की गुणवत्ता एवं Gem दर एवं Gem दरों की वैधता की अवधि सुनिश्चित कर की जायेगी।
(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित उक्त वाहनों के स्थान पर पूर्व में नये वाहन क्रय न किये गये हों।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-43 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखा शीर्षक-3055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-0800 अन्य व्यय-03 का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-9-1383/दस-2019, दिनांक-17 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-19/2019/1380(1)/तीस-4-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।